

प्ररूप-45
[नियम 82 (4)]
मार्गरक्षा आदेश

प्रकरण संख्या.....

.....
बालक / बालिका के मामले में
आयु लगभग.....दर्ज की गई

बालक/बालिका के माता पिता केस्थान पर रहने की सूचना है।

इसलिए वह समुचित पुलिस / मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन की देख-रेख मेंकी अभिरक्षा में भेजें।

उपरोक्त वर्णित पते अथवा उस अन्य स्थल जो बच्चे द्वारा दर्शाया जाए, पर उक्त बालक / बालिका के माता पिता अथवा नजदीकी सगे संबंधियों की तलाश करने और सौंपने, अगर उन माता पिता अथवा सगे संबंधी की तलाश नहीं हो पाती है या उनकी तलाश तो हो जाती है किंतु वे बालक/बालिका को लेने के लिए इच्छुक नहीं हो तो बालक बालिका को उक्त जिले के बाल गृह, सुरक्षा स्थल, संप्रेषण गृह के प्रभारी की अभिरक्षा में रखा जाए और उपरोक्त बालक बालिका को अगले आदेश के लिए संबंधित बाल कल्याण समिति/ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए।

अनिर्णीत

अभिरक्षण के समय उपरोक्त बालक बालिका बाल गृह, सुरक्षा स्थल, संप्रेषण गृह,.....के वर्तमान निवास में रहेगा। राज्य / जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा पुलिस विभाग अथवा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन/चाइल्डलाइन उनके द्वारा इस आदेश के मिलने की तारीख से कम से कम 15 दिन में शीघ्रता से अन्य व्यवस्था करेगा और उपरोक्त बालक/बालिका को उसके पूर्वोक्त निवास स्थल पर भेजा जाएगा।

आज दिनांक.....को.....20

अध्यक्ष / सदस्य
बाल कल्याण समिति/
किशोर न्याय बोर्ड

प्रतिलिपि :

1. प्रभारी व्यक्ति, बाल देखभाल संस्था
2. जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा गैर सरकारी संगठन अथवा चाइल्डलाइन

संदर्भ: 1.....को जन्मे.....नाबालिग का आदेश प्रोफाइल सं०